न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
117/2015	23/11/2015	30/11/20

राजेन्द्रसिंह पुत्र भौमसिह जाति राजपूत निवासी ककरावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रार्थी

बनाम

गोपाल पुत्र नाथू जाति मीणा निवासी ककरावदा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

– अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कमल बंसल एड0।
अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी में ग्राम ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल मे कृषि भूमि खसरा संख्या 224 रकबा 0.36 है. स्थित है। जिसे भागे प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि से संबोधित किया गया है। विवादित भूमि के पूर्व खातेदार श्री चन्दा पुत्र मंगला पासवान थे। जोकि अपने जीवनकाल में विवादित भूमि पर बतोर खातेदार काबिज काश्त रहे। श्री चन्दा की निःसन्तान अवस्था ने ग्राम ककरावदा ने वर्ष 1980 में हो गई थी। श्री चन्दा प्रार्थी व उसके पिता के पास ही निवास करता था फलतः श्री चन्दा के देहावसान के उपरान्त उनके खाते की विवादित भूमि व खसरा संख्या 156 रकबा 1.56 है. भूमि पर वादी ही बतोर खातेदार काबिज काश्त चला का रहा है। प्रार्थी विवादित भूमि का समीपवर्ती कृषक होने से सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी विवादित भूमि प्रार्थी को पाँती कारत आदि पर डुपवाता हुआ चला का रहा था। प्रार्थी द्वारा संतोषप्रद रूप से पाँती काश्त करने पर प्रार्थी द्वारा वैश्वासिक रूप से इसी अनुक्रम में विवादित भूमि कृषि वर्ष 2014–2015 के लिऐ पाँती कारत पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को दी गई थी। वर्तमान कृषि वर्ष 2014–2015 समाप्त होने पर होत खाली होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से आगे पाँती काश्त नहीं करने व भूमि पर से कब्जा छोडने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने साफ इन्कार करते हुए कहा कि मैं इस जमीन पर से कब्जा नही छोडूंगा, यह मेरी जमीन है, अब मैं ही इस अमीन का मालिक हूँ, वादनी को विवादित भूमि मे घुराने नही दुगाँ एवम् विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द कर दूँगा। विवादित भूमि ने अप्रार्थी का कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार विवादित भूमि पर अप्रार्थी की हैसियत अतिक्रमी की है, फलस्वरूप प्रार्थी को बेदहाल किया जाना परम आवश्यक है तथा चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि का प्रतिद्धा खातेदार कृषक है इसलिए इस सक्षम सम्मानीय न्यायालय की सहायता से अप्रार्थी को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। माह जून 2015 के प्रथम सप्ताह में प्रार्थी ने प्रार्थी ते वादग्रस्त भूमि पर से कब्जा छोडने से स्पष्ट इन्कार कर धमकी दी कि वह विवादित भूनि को कृषि उपयोगी नही रहने देगा और विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगा। इन दशाओं में विवादित भूमि पर रिशिवर नियुक्त किया जाना न्यायदित में परन द्वावश्यक है। प्रार्थी के पक्ष ने प्रथम दृष्टया मामला बनता है क्योंकि प्रार्थी विवादित भूमि का प्रतिज्ञ खातेदार कृषक है तथा विवादित भूमि के उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकारी है। इसी प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के ही पक्ष ने हैं। यदि वाद के निर्णय तक यदि विवादित भूमि पर रिसिवर नियुक्त नहीं किया गया तो प्रार्थी विवादित भूमि को अन्यत्र विक्रय द्वादि कर, स्वयं अवैध निर्माण झादि कर अथवा अन्य व्यक्तियों से करवाकर विवादित भूमि को कृषि उपयोग हेतु नहीं रहने देगा एवम् विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द कर उसकी प्रकृति ही परिवर्तित कर देगा जिससे प्रार्थी को अपरिमित दक्षति कारित होगी जिसका द्रव्य मे मुल्याँकन सम्भव नहीं होगा एवम् प्रार्थी को झन्य कई वाद विवादो

में उलझना पड जाएगा। विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया आना न्यायहित ने पटन आवश्यक है। क्योंकि विवादित भूमि ने प्रार्थी का कोई अधिकार अथवा सरोकार नहीं है जिरासे विवादित भूमि पर अप्रार्थी की हैसियत अतिक्रमी की है, एवम् उपरवर्णित कारणों से वादग्रस्त भूमि डेन्जर ने है। विवादित भूमि के फुट्स प्राप्त करने का प्रार्थी का कोई अहि कार नहीं है फलस्वरूप विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना परम आवश्यक है। अतः विनय निवेदन है कि मूल वाद के निर्णय तक ग्राम ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) को माल की कृषि भूमि खसरा संख्या 224 रकबा 0.36 है. पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री कमल कुमार बंसल एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्त का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री गिरिराज कुशवाह एड0 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में इन्तकाल नं0 626 दिनांक 31.08.2015 भी अपील कोटा में जैरकार है तथा मौके पर कब्जा भी प्रार्थी का नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराया। उभयपक्ष बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा पत्रावली में विद्यमान दस्तावेजों का अवलोकन किया। मुताबिख राजस्व अभिलेख प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज है परन्तु विवादित आराजी पर कब्जा संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के दायर वर्ष 2015 में होने के उपरांत कोई अपूरणीय क्षति हुई या आगे होगी इसकी कोई दूरस्थ संभावना भी प्रतीत नहीं होती है। सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा